

कार्यालय रिपोर्ट

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 अध्याय -5 विशेष विवाहों का अनुष्ठापन
विवाह के पक्षकार विद्यासागर एवं प्रीति



महोदय,

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट निम्नानुसार है :-

1. विवाह के पक्षकार श्री विद्यासागर पुत्र छोटू राम आयु 20 वर्ष 11 माह जाति रविदासिया निवासी 140 डी-गली नम्बर 05 सेतिया फार्म, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर एवं प्रीति पुत्री रतनलाल आयु 21 वर्ष जाति रविदासिया निवासी रेलवे कालोनी, गली नम्बर 01 अबोहर (पंजाब) जिला फाजिल्का ने अपना विवाह अनुष्ठापित करवाने के लिए विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत प्रार्थना पत्र अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।
2. आयु के संबंध में विद्यासागर ने गोरमेन्ट सीनियर सैकण्डरी स्कूल खूर्ईयासरवर, पंजाब मार्च 2010 का प्रमाण पत्र अंकतालिका सहित की प्रति पेश की है, जिसके अनुसार की जन्म दिनांक 28.10.1996 है एवं प्रीति द्वारा पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका की प्रति पेश की है, जिसके अनुसार प्रीति की जन्म दिनांक 04.02.1996 है। प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार विवाह के पक्षकारों की आयु कमशः 20 व 21 वर्ष है।
3. निवास के संबंध में विवाह के पक्षकार वर वोटर कार्ड एव वधु द्वारा आधार कार्ड की प्रतियाँ पेश की गई हैं।
4. धारा 5 के तहत हस्ताक्षरयुक्त आशियत विवाह की सूचना की प्रतियाँ कलर फोटो चस्पा कर पेश की गई हैं।
5. प्रार्थीगण ने तीन स्वतन्त्र गवाह कमलजीतकौर-सतनामा सिंह-विक्रमसिंह के शपथ पत्र मय आई0 डी0 प्रूफ पेश किये हैं।
6. विवाह के पक्षकार वर विद्यासागर गॉव 140 डी-गली नम्बर 05 सेतिया फार्म, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर व वधु प्रीति निवासी रेलवे कालोनी, गली नम्बर 01 अबोहर (पंजाब) जिला फाजिल्का के निवासी हैं।
7. वकालतानामा पेश किया है।
8. विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में वर की आयु 21 वर्ष से कम है। अतः विशेष विवाह अधिनियम, 1954 अध्याय -5 के तहत आयु कम होने के कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना प्रस्तावित है।

अवलोकनार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत है।

18/10/17

विवाह अधिकारी महोदय

अवलोकन वर की प्रतीति वर
18/10/17

Reader

18/10/17